

06<sup>06</sup>/<sub>24</sub>

आज पत्रावली पेश हुई कोई भी उप० नहीं दीये  
वादी व उनके वकील को बार-बार आवाज दिलाई  
गई। किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। ना ही जमानत  
कि तलवी हेतु सम्मान गलताना पेश किया जा  
रहे हैं। अतः वादी की उम्र वाद-पत्रको  
आगे चलाने कि कार्य प्रकृत नहीं होकर है।  
जिस रकम में वादी का वाद पत्र न्यायालय आगे  
की पालना नहीं करने पर पत्रावली 09.10.24  
स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली को जल शुभार  
होकर नम्बर से कम है। वाद शर्त दारिद्र्य धारण



उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड़ (कोटपुहली-बहरोड़)